संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19टीसी

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च, 2019

विषयः–कन्या सुमंगला योजना के संबंध में।

महोदय,

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा ''कन्या सुमंगला योजना'' लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। ''कन्या सुमंगला योजना'' दिनांक 01.04.2019 से लागू की जायेगी।

2– ''कन्या सुमंगला योजना'' के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत निर्धारित हैः–

1– लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।

2– लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0–3.00 लाख हो।

3– किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

4– लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)–परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।

5– किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।

C-2/Desktop/Kanya G.O.

6– यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

3– "कन्या सुमंगला योजना" छः श्रेणियों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का वर्गीकरण तथा उनके लिये धनराशि वितरण की श्रेणियां निम्नवत निर्धारित है:–

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्टम् श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5,000 एक मुश्त

4– लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके **बैंक खाते** में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी की माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता/पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।

प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

5– इस योजना के कियान्वयन के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0–1200.00 करोड़ धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है। योजना के संचालन के लिये राजस्व पक्ष में प्रावधानित कुल बजट का 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिये आरक्षित किया जायेगा। प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत अवस्थापना, मानव संसाधन, पी0ओ0एल0, स्टेशनरी, कार्यालय

व्यय, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, अनुश्रवण आदि पर निहित व्यय सम्मिलित होंगे। मानव संसाधन सम्बन्धित सेवायें योजना अवधि के लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जायेंगी।

योजना के कियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत भविष्य में मार्गदर्शिका में यथावश्यक संशोधन एवं परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

6– उक्त कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना कियान्वित किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कन्या सुमंगला योजना संबंधी मार्गदर्शिका (Guidelines), बालिका के पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र तथा शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

7/3

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–436 (1)/60–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया कन्या सुमंगला योजना की मार्गदर्शिका, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शपथ पत्र विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

08/3/19

C-2/Desktop/Kanya G.O.

बालिका के साथ आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो अपलोड करें

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
ऑठवा तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
कन्या सुमंगला योजना

नोटः बालिका के पंजीकरण हेतु सभी संलग्नकों के साथ, स्वयं–सत्यापित व पूर्ण रूप से भरे गये फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी/रसीद संख्या भरें... ....(पंजीकरण रसीद अपलोड/संलग्न करें)

(पहली बार आवेदन करने पर निम्न विकल्प आयेंगे)

1. आवेदक का नाम..

2. आवेदक का बालिका के साथ क्या संबंध हैं चुनेः
   - माता ( )
   - पिता ( )
   - अभिभावक ( )

3. बालिका का नाम (हिन्दी में)..

4. बालिका का नाम (अंग्रेजी में).. (कृपया नाम आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/विद्यालय सर्टीफिकेट के अनुरूप लिखें।)

5. जन्म तिथि..जन्म का स्थान (जिला).................................

6. बालिका की माता का नाम...

7. पिता का नाम...

8. अभिभावक का नाम..

9. क्या लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हैं **हॉ ( )नहीं ( )**

10. स्थायी पता ....पिन कोड...................(निवास प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसैंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक संलग्न/अपलोड करें संलग्न/अपलोड करें)

11. वर्तमान पता ....पिन कोड.......................

12. परिवार की वार्षिक आय रू0–3.00 लाख से कम है हॉ ( )नहीं ( )

13. परिवार में बच्चों की संख्या 2 या उससे कम है हॉ ( )नहीं ( )

14. परिवार में कुल कितनी संताने हैं...

15. श्रेणीः
अनुसूचित जाति ( )
अनुसूचित जनजाति ( )
अन्य पिछडा वर्ग ( )
सामान्य ( )

16. मोबाइल न0 (यदि उपलब्ध हो)...

17. परिवार की कितनी बालिकायें योजना का लाभ ले रहीं है ( )

18. लाभ लेने वाली कितनी बालिकायें: जैविक है( )गोद ली हैं( )
19. यदि परिवार की 2 बालिकायें पहले से योजना का लाभ ले रहीं है और यह आवेदन तीसरी बालिका हेतु किया जा रहा हो तो संबंधित नियम स्पष्ट लिखें ....

20. आवेदक की आधार कार्ड संख्या ....
(यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड की छायाप्रति संलंग्न/अपलोडक करें)

21. **बैंक खाते का विवरणः**
खाताधारक का नामः..खाताधारक का बालिका से संबंध.....................
खाता संख्या..बैंक का नाम... बैंक की शाखा व पता..आई0एफ0एस0सी0 कोड..................................

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र भी संलग्न/अपलोड करें:

- बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
- **फोटो पहचान पत्रः** पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसैंस, पासपोर्ट, बैक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- यदि माता या माता–पिता दोनो की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र।

- **किस श्रेणी के लाभ हेतु आवेदन किया जा रहा है कृपया निम्न में से चुन तथा आगे उसी श्रेणी से संबंधित प्रारूप भरें व जो लागू ना हो उसे छोड दें:**

1- जन्म के बाद बालिकाओं का पंजीकरण। ( )
2- टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं का पंजीकरण । ( )
3- कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण । ( )
4- कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण । ( )
5- कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त बालिकाओं का पंजीकरण । ( )
6- स्नातक–डिग्री/2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स ( )

में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं का पंजीकरण ।

(पुनः श्रेणी विशेष (श्रेणी 1/2/3/4/5/6) में आवेदन करने पर निम्न विकल्प आयेंगे)

श्रेणी 1: जन्म के बाद लाभ प्राप्त करने हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)
यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें ....

- जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या..तिथि....................
- जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण..
- जन्म कहाँ हुआ
  - संस्थागत प्रसव अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बयूलेन्स ( )
  - यात्रा के दौरान या अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति में, ( )
  - घर/अन्यत्र किसी स्थान पर प्रशिक्षित कार्यकर्ता की देखरेख में ( )

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें जो लागू होः

- जन्म प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।
- संस्थागत प्रसव पंजीकरण (एम0सी0टी0एस0) का प्रमाण पत्र या माँ का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण व टीकाकरण कार्ड या आशा/ए0एन0एम0 द्वारा उनकी देखरेख में हुए प्रसव हेतु प्रदान किये गये प्रमाण पत्र में से कोई एक।

श्रेणी 2: बालिका के पूर्ण टीकाकरण का विवरण चार्ट (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)
यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें .....

उम्र	टीका	टीकाकरण की स्थिति	
		हाँ	नहीं
जन्म के 24 घंटे के भीतर	हैपेटाईटिस–बी		
जन्म के 15 दिन के भीतर	पोलियो		
जन्म से 1 वर्ष के भीतर	बी0सी0जी0		
6 सप्ताह/डेढ़ माह पर	पोलियो रोटा वायरस fIPV पी0सी0वी0 पैन्टावेलेन्ट		
10 सप्ताह पर (पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल/ढाई माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस पैन्टावेलेन्ट		
14 सम्ताह पर (दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल/साढे 3 माह पर)	पोलियो रोटा वायरस fIPV पी0सी0वी0 पैन्टावेलेन्ट		
9 माह पर	विटामिन ए, खसरा/MR डी0पी0टी0		

बालिका का नामः...उम्रः.....................................
टीकाकरण कहाँ हुआ है (अस्पताल/क्लीनीक का नाम व पता स्पष्ट लिखें)..
....
....

निम्न दस्तावेज़/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें जो लागू हो:

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- बालिका का टीकाकरण/एम0सी0पी0 कार्ड संलग्न/अपलोड करें।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

श्रेणी 3: कक्षा 1 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)
यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें है तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें ....

- कक्षा...
- विद्यालय का नाम एवं पता...
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो)..
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो)...
- बालिका का आधार नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)...

निम्न दस्तावेज़/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें:

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा–1 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

श्रेणी 4: कक्षा 6 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)
यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें है तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें ....

- कक्षा...
- विद्यालय का नाम एवं पता...
- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो)..
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो)...
- बालिका का आधार नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)...

निम्न दस्तावेज़/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें:

15/21

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा–6 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

श्रेणी 5: कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं के हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)
यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें ....

- कक्षा...
- विद्यालय का नाम एवं पता...

- राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- U-DISE (यू–डाइस) कोड भरें (यदि लागू हो)..
- विद्यालय कोड भरें (यदि लागू हो)..
- बालिका का आधार नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)..

निम्न दस्तावेज़/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें:

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- प्राचार्य द्वारा कक्षा–9 में प्रवेश देने हेतु जारी प्रमाण पत्र। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

श्रेणी 6: स्नातक–डिग्री/2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में प्रवेशित बालिकाओं हेतु भरा जाए (यदि यह श्रेणी लागू हो तो भरें)

यदि पहले से योजना का लाभ ले रहें हैं तो पहचान संख्या/परिवार आई0डी संख्या भरें ....

- 12वीं कक्षा कहॉ से उत्तीण करी है, विद्यालय का नाम व पता..वर्ष...... ...., बोर्ड का नाम..
- स्नातक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स का नाम... अवधि............................(वर्ष), संस्थान का नाम एवं पता.. राजकीय ( ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ( ) मान्यता प्राप्त ( )
- संस्थान कोड भरें:...
- बालिका का आधार नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)..

निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें:

- बालिका का नवीनतम फोटो।
- कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
- **स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा** कोर्स में प्रवेश शुल्क रसीद व परिचय पत्र।
- आवेदन पत्र संबंधित कालेज/विश्वविद्यालय के निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित करके जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर।

कन्या सुमंगला पहचान संख्या/परिवार आई0डी की प्राप्त रसीद

बालिका का नाम:...**आवेदक का नाम**...
.... **स्थायी पता**...

आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है, आगे की समस्त कार्यवाही हेतु आपका कन्या सुमंगला पहचान संख्या/परिवार आई0डी है...**योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभों का विवरण निम्न है:**

श्रेणी	लाभ कब प्राप्त होगा	लाभ (रूपये में)	लाभ प्राप्त होने की स्थिति
प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त	आवेदन/प्राप्त/आगामी

द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त	आवेदन / प्राप्त / आगामी
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त	आवेदन / प्राप्त / आगामी
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छठी में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त	आवेदन / प्राप्त / आगामी
पंचम श्रेणी	कक्षा नवीं में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त	आवेदन / प्राप्त / आगामी
षष्ठम श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5000 एक मुश्त	आवेदन / प्राप्त / आगामी